.....

.....बनाम.....

.....

नस्ती पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 24/12/24 को पेश हो।

पत्रावली देखा कि उभयपक्ष द्वारा अधि. उभयपक्षकार मूल वाद में सहमति से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है तथा अधि. उभयपक्ष ने वाद-पत्र स्वयं के लाउंगराम वाद रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की है। अतः वादपत्र स्वयं स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को पक्षिय आदेश निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित अधि. ग.नं. 2621, 4352/2622 कुल किता 03 कुल रकबा 4.36 हैक्टेयर भूमि के संबंध में यथास्थिति लाउंगराम वाद रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली मैनेजर कुमार ठीकर अधिवक्ता के दायित्व दर्ज है। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर